न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 81/2022 (2022/114)

अपीलान्ट :–
मदनलाल गहलोत पुत्र चतुर्भुज, उम्र 80 वर्ष, जाति गहलोत–माली, निवासी ओमसागर, ढाणाबेरा, मण्डोर, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–
1. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये अधिशाषी अभियन्ता जोधपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 305 ग्राम मण्डोर जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 26.10.1977 को स्वीकृत किया गया।

———

उपस्थिति :–
1. अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया (अपीलार्थी)।
2. अप्रार्थीपक्ष नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– 30.01.2023

अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 305 ग्राम मण्डोर जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 26.10.1977 को स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा अपीलार्थी के खातेदारी खसरा संख्या 670 रकबा 18 बीघा 01 बिस्वा में से 2 बीघा 16 बिस्वा को सड़क में दर्ज किया गया, के विरूद्ध पेश की है। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम का पेश किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। प्रकरण में अपीलान्ट अभिभाषक की बहस दिनांक 19.01.2023 सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:25 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में बतलाया कि ग्राम मण्डोर में खसरा संख्या 670 रकबा 18 बीघा 1 बिस्वा भूमि अपीलार्थी की खरीदशुदा सहखातेदारी भूमि है। जिसको अपीलार्थी के पिता चतुर्भुज जी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के इसके 1/3 हिस्से को दिनांक 15.06.1970 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। जिस पर अपीलार्थी को आज दिनांक तक कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उपरोक्त खसरे में से 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि तत्कालीन तहसीलदार जोधपुर ने बिना किसी अवाप्ति आदेश के एवं खातेदारों को मुआवजा दिए बिना सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 305 दर्ज कर दिया। अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज करने से पहले स्व0 चतुर्भज एवं सहखातेदारों को कोई सुनवाई एवं सूचना का मौका नहीं दिया गया। पटवारी हल्का ने अपीलार्थी के उक्त खसरा की भूमि बाबत् अपीलार्थी के विरूद्ध सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार जोधपुर को दी। जिसका धारा 91, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस दिनांक 08.09.2022 को मिलने पर पहली बार जानकारी हुई, उसके बाद अपीलार्थी ने पटवारी हल्का के पास जाकर अपीलार्थी को उसकी भूमि से बेदखल करने का विरोध किया तो पटवारी हल्का ने अपने रिकॉर्ड से अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल अपीलार्थी को देकर बताया कि आपके उक्त खसरे की भूमि में से रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा जरिये नामान्तरकरण संख्या 305 दिनांक 26.10.1977 के सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज की जा चुकी है तब अपीलार्थी को पहली बार अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हुई। अतः प्रथम जानकारी से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है।

अपीलार्थी ने बहस में आगे बतलाया कि तहसीलदार जोधपुर ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपीलार्थी की खातेदारी भूमि को सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम नामान्तरकरण विधि विरूद्ध स्वीकृत किया है जबकि तहसीलदार को बिना भूमि अवाप्ति आदेश एवं खातेदारों को मुआवजा दिए बिना भूमि का नामान्तकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम स्वीकृत करने का कोई क्षेत्राधिकार नहींहै। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण गैरकानूनी एवं क्षेत्राधिकार से परे होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी ने निरन्तर बहस में बतलाया कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि को सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज करने से पूर्व अपीलार्थी/खातेदार को सुनवाई व सूचना का अवसर प्रदान नहीं किया गया जबकि भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:25 IST
Reason: SelfAttested

मुआवजा दिये बिना किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी ने बहस के अन्त में बतलाया कि तत्कालीन पटवारी हल्का एवं तहसीलदार ने सड़क में आने वाली भूमि से तीन गुना अधिक भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कर दी जो आज भी अपीलार्थी के कब्जे में चली आ रही है। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण की कार्यवाही विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

हमने अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.09.2022 को तब हुई जब पटवारी हल्का ने अपीलार्थी के उक्त खसरा की भूमि बाबत् अपीलार्थी के विरूद्ध सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार जोधपुर को दी। जिसका धारा 91, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस अपीलार्थी को दिनांक 08.09.2022 को मिलने पर पहली बार जानकारी हुई, उसके बाद अपीलार्थी ने पटवारी हल्का के पास जाकर अपीलार्थी को उसकी भूमि से बेदखल करने का विरोध किया तो पटवारी हल्का ने अपने रिकॉर्ड से अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल अपीलार्थी को देकर बताया कि आपके उक्त खसरे की भूमि में से रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा जरिये नामान्तरकरण संख्या 305 दिनांक 26.10.1977 के सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज की जा चुकी है तो प्रथम बार अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने आगे बतलाया कि अपीलार्थी को उसकी खातेदारी भूमि का मुआवजा दिए बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम स्वीकृत कर दिया जो क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है जो प्रारम्भतः अवैध होने के कारण म्याद संबंधी प्रावधान लागू ही नहीं होते है। दौराने बहस अपीलार्थी/प्रार्थीपक्ष ने स्वीकार किया कि विवादित भूमि पर मौके पर पहले से सड़क बनी हुई है जिसका उपयोग आवागमन में हो रहा है। अतः अपीलार्थी का यह कहना गलत है कि उसे नामान्तरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.09.2022 को हुई। अपील प्रस्तुत करने का समुचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:25 IST
Reason: SelfAttested

कारण नही बता पाए ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को माफ नही किया जा सकता हैं। विधि के सुस्पष्ट सिद्धान्तों व धारा 5 म्याद के अधिनियम के अनुसार न्यायालय का प्रथम दायित्व है कि उनके समक्ष कोई अपील या निगरानी प्रस्तुत होने पर वे सर्वप्रथम इस तथ्य की जांच करे कि उनके समक्ष प्रस्तुत होने वाली अपील या निगरानी निर्धारित अवधि में प्रस्तुत हुई है अथवा नहीं। न्यायिक निर्णय 2009 DNJ RAJ 215,. 2010 (1) WLC (SC) 379] 2002 (3) CCC 69, AIR 2000 DELHI 336 2009 (5) SCC 121, AIR 2010 SC 3043, AIR 1996 RAJ. 28 2009 CDR 17 SC, 2004 (2) CCC 187 DB तथा AIR 1995 RAJ. 47 से स्पष्ट है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 दिन, 4 साल व 21 दिन की देरी भी माफ नहीं की गई। अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु सन्तोषप्रद कारण उल्लेखित नहीं किये है इसलिए अपीलार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:48:25 IST
Reason: SelfAttested